संख्या-79 /2023/492 /001-492-23-10-2023-49(सामान्य) / 22टी0सी0

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 08 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियंता (31वां वृत्त सेतु) लोक निर्माण विभाग के निम्नांकित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

क्र0 सं0	पत्रांक एवं दिनांक
1	पत्रांक-3702/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/ए0डी0वाई0/2022-23 दिनांक 25-03-2023
2	पत्रांक-3703/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/के0एन0पी0/2022-23 दिनांक 25-03-2023
3	पत्रांक-3704/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/वी0एन0एस0/2022-23 दिनांक 25-03-2023
4	पत्रांक-3705/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/ जी0ओ0एन0 /2022-23 दिनांक 25-03-2023

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 08 चालू सेतुओं हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्य के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित कुल धनराशि रू0 1266.52 लाख (रूपये बारह करोड छियाछठ लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2022 तक आवंटन	दिनॉक01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2022 तक आवंटन	दिनॉक01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अयोध्या	सेतु निगम अयोध्या	जनपद अयोध्या में बिगिनियापुर एवं हंसराजपुर समगढ़ा के मध्य गोमती नदी बिबिनियापुर घाट पर प्रस्तावित सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति का निर्माण।	2169.46	1159.09	1010.37	35.91	865.99	108.47	**57.17**	**15.39**	**72.56**
2	अयोध्या	प्रा.ख. अमेठी	जनपद अमेठी में सेठा विशेषरगंज संग्रामपुर धौरहरा सम्पर्क मार्ग के किमी-09 में क्षतिग्रस्त 3 x5.75 मी. लघु सेतु के स्थान पर 2x12.50 मी. आर.सी.सी. बॉक्स लघु सेतु पहुँच मार्ग।	202.19	151.64	50.55	0.00	30.33	20.22	**15.93**	**4.29**	**20.22**
3	कानपुर	सेतु निगम औरैया	जनपद औरैया में औरैया फफूँद मार्ग से माल्हेपुर मिश्रीपुर के मध्य सेंगुर नदी पर सेतु के सेतु अंश, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य हेतु।	821.86	592.41	229.45	0.00	188.36	41.09	**21.51**	**5.79**	**27.30**
4	कानपुर	प्रा.ख. कानपुरदेहात	जनपद कानपुर देहात में विधानसभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत ग्राम पिटुरा एवं ग्राम उसरिया के बीच छुईया नाला पर पुलिया के निर्माण का कार्य।	190.31	5.00	185.31	1.61	147.25	36.45	**23.64**	**6.36**	**30.00**
5	कानपुर	नि.ख.-2 कानपुरनगर	जनपद कानपुर नगर में ग्राम बिहारीपुर से सिंधौली मार्ग पर स्थित नाले पर 3x6 मी. स्पान के लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	322.26	25.00	297.26	3.99	161.13	132.14	**78.79**	**21.21**	**100.00**
6	वाराणसी	सेतु निगम जौनपुर	जनपद जौनपुर में बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत केवटली-कारोबीर-राजापुर घाट मार्ग पर सई नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य।	1201.47	300.37	901.10	0.00	516.43	384.67	**171.62**	**46.20**	**217.82**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2022 तक आवंटन	दिनॉक01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	वाराणसी	सेतु निगम जौनपुर	जनपद जौनपुर में बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत भटपुरा-कल्यानपुर-रामपुर-सोनहिता मार्ग के बोझनाथ घाट पर सई नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य।	2366.96	50.00	2316.96	0.00	1098.57	1218.39	**452.48**	**121.80**	**574.28**
8	गोंडा	प्रा.ख. श्रावस्ती	जनपद श्रावस्ती में विकास खण्ड-इकौना में मनोहरापुर कोड़री सम्पर्क मार्ग के किमी-3 गोबार नाला पर 3x18 मी. स्पान के आर.सी.सी. लघु सेतु के निर्माण कार्य।	342.47	117.12	225.35	1.01	0.00	224.34	**176.76**	**47.58**	**224.34**
			योग:-	**7616.98**	**2400.63**	**5216.35**	**42.52**	**3008.06**	**2165.77**	**997.9**	**268.62**	**1266.52**

कुल अवमुक्त धनराशि रू0 1266.52 लाख (रूपये बारह करोड छियाछठ लाख बावन हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समायावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त पारियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबधित बजट के ऑन लाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्य मदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुये सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने से संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-02 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक- 04-11-2022 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 9,97,90,000 (रुपये नौ करोड़ सत्तानवे लाख नव्वे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 2,68,62,000 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव,

संख्या-**79 /2023/492 /001-492-23-10-2023-49(सामान्य) / 22टी0सी0**, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(8) संबंधित कोषाधिकारी।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(10) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(11) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(12) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।